

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7	परियोजना स्कीम का स्थान	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एन0एच0 94 खरादी नगाणगांव के कि0मी0 9से बचाणगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 4.30 कि0मी0) 1.346 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानकी कार्य हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड पुरोला को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
(i)	राज्य/सघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	उत्तरकाशी
(iii)	वन प्रभाग	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है0 में	1.346 है0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन मसालगांव 4बी- 0.822 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम खाण्ड एवं बचाणगांव-0.332 है0 वन पंचायत भूमि- 0.192 है0 कुल 1.346 है0
(vi)	हरियाली का घनत्वा	0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0-2मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 34 वृक्ष बाधित है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	इस बावत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया गया प्रमाण के अनुसार प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल से वन सीमा की दूरी 0.50 कि0मी0 के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा भाग-1 कालन-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ मो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	

	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.657 लाख रु0 का प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण हेतु 4.20 लाख रु0 प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उपरोक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	प्रजातिया-जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी-स्वयं वन विभाग समय-उच्चस्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत-क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.657 लाख रु0। रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 4.20 लाख रु0 का प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.657 लाख रु0। रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 4.20 लाख रु0 का प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (Xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी फील्ड स्टाफ राजस्व विभाग, एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षर करके प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट जिला उत्तरकाशी
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	801600.00 हे0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	695783.35 हे0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 101 है। वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्रफल 150.6205 हे0
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि- (ख) वनेत्तर भूमि पर..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	क- 270.255 हे0 ख- -
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर.....	क- 34.27 हे0 ख - 190.35 हे0
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17-1-2018 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त जनहित में इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक 17-01-2018

स्थान बडकोट

(जोशी सिंह)
प्रभोगीय वनोधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट (उत्तरकाशी)



कार्यालय

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233
E-Mail dfobarkot@gmail.com
वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
पत्राक- 1828 / 12-1 दिनांक, बड़कोट, दिसम्बर 18 2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-9 के अन्तर्गत एन0एच0 94 खरादी नगाणगांव के कि०मी० 9 से बचाणगाव मोटर मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 4.300 कि०मी०) 1.346 हे० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑन लाईन के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रभाग स्तर से ऑन लाईन पार्ट-2 में भरी जाने वाली सूचना भरने के पश्चात् प्रस्ताव ऑन लाईन आपको प्रेषित किया जा रहा है। जनहित में यह निर्माण कार्य किया जाना आवश्यक है। जिसकी संस्तुति की जाती है।

भवदीय,

(जे०पी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Ex. Eng. P.M.G.S.Y. Irrigation Division Purola Uttarkashi (Uttarakhand) for diversion under FCA-1980) of 1.346 ha of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of visit NH 94 Kharadi nagangaon km 9 to Bachangaon moter road. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 17-01-2018.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 1.346 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If,so the details there of :- No

Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other important moument is located in the area, of, so the details thereof with NOC from competent authority, if required :- No

- a) The user agency has not violated the provision of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started in reserved forest without proper sanction. The work has been started in the nap land but at present no work is being done. No
- b) As such, recommendation is been provided.

Recomended for sanction

(Signature)

Name (J.P. Singh)

Designation

Office Seal

Place :- Barkot

Date :- 17-01-2018

N.B

- x State the purpose for which the forest land is proposed to diverted.
- Xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involvion less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

भाग-III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

प्रस्ताव का नाम

जनपद उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत एन0एच0-94 खरादी नगाणगांव के कि0मी0 9 से बचाणगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.346 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव, FP/UK/ROAD/23290/2016

1	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
2	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
3	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	जनहित में प्रस्ताव स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

दिनांक - 31 मार्च 2018।
स्थान - देहरादून ।

हस्ताक्षर

(पी0एम0जी0एस0वाई0)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 258 / FP/UK/ROAD/23290/2016 देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2018

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत एन0एच0-94 खरादी नगाणगांव के कि0मी0 9 से बचाणगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.346 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online file no - FP/UK/ROAD/23290/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें। संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या / ~~1~~ **FP/UK/ROAD/23290/2016** तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति पार्त। से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी)।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत एन0एच0-94 खरादी नगाणगांव के कि0मी0 9 से बचाणगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.346 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online file no - FP/UK/ROAD/23290/2016)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु अपर यमुना वन प्रभाग में (मसालगांव) अर्थात् कुल 0.822 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.524 हे0 सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल 1.346 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत एन0एच0-94 खरादी नगाणगांव के कि0मी0 9 से बचाणगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (मनोज चन्द्रन भा.व.से.)

मुख्य वन संरक्षक

सरकारी मोहर:

तिथि : 25 / 07 / 2018

स्थान : देहरादून

0.33280

01 (135) 18

PROPOSALNO- FP/UK/Road/23290/2016
PROPOSALNAME-NH-94-Kharadi-nagadgaon
km 9.00-to-bachan-gaon

AREA - 1.346 Ha
District- Uttarkashi

PART- V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Recommendation of the State Government:

(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon)

RECOMMENDED

07/08/2018

Signature-

Name and designation

Official seal सचिव
पर्यावरण विभाग
उत्तराखण्ड शासन

प्रतिवेदन

कार्य का नाम :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत एन0एच0 94 से खरादी नंगाणगांव के
कि0मी0 9.00 से बंचाणगांव।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय एवं उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। उक्त के क्रम में सचिव ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 2491/पी03-14/ यू0आर0आर0डी0ए0 /10 दिनांक 18 मार्च 2011 द्वारा उक्त मार्ग का अनुमोदन किया गया है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बंचाणगांव की कुल आबादी 373 जो अभी तक किसी भी बारहमासी मोटर मार्ग से जुड़ा नहीं है। मोटर मार्ग के अभाव में यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। उन्नत कृषि भूमि होने से क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। मार्ग की कमी के कारण फसलों का उचित मूल्य एवं सरकार द्वारा लाभान्वित की जाने वाली योजना का लाभ एवं संचालन में कठिनाई होती है, जिस कारण युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिये पलायन करना पड़ता है।

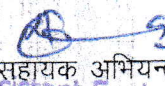
उल्लिखित है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नापभूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वनभूमि के क्षेत्रों में लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में 0.322 है0 सिविल सोयम वनभूमि, 0.192 है0 वन पंचायत भूमि, 0.822 है0, आरक्षित वनभूमि एवं 2.137 है0 नापभूमि की आवश्यकता है साथ ही 0.377 है0 मक डिस्पोजल हेतु नापभूमि है, जो न्यूनतम एवं है। वनभूमि हस्तान्तरित करने हेतु वनभूमि संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित किया गया है। विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त मार्ग के निर्माण हेतु दो समरेखण पर विचार किया गया है।

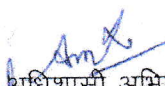
समरेखण 01- यह लाल रंग से दर्शाया गया है के अनुसार 2 हेयर पिन बैण्ड, 0.822 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.192 है0 वन पंचायत भूमि, 0.322 है0 सिविल सोयम भूमि, 2.137 है0 नापभूमि एवं 0.377 है0 नापभूमि मक डिस्पोजल की आवश्यकता है एवं 34 वृक्ष विभिन्न प्रजातियों के प्रभावित होंगे।

समरेखण 02- जो नीले रंग से दर्शाया गया है के अनुसार 06 हेयर पिन बैण्ड, 1.501 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.287 है0 वन पंचायत भूमि, 0.385 है0 सिविल सोयम भूमि एवं 1.188 है0 नापभूमि की आवश्यकता है। साथ ही 188 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के एवं 10 वृक्ष बांज के प्रभावित होंगे।

उक्त को ध्यान में रखते हुए एवं भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार समरेखण 01 जो लाल रंग से दर्शाया गया है तकनीकी पर्यावरणीय एवं भू-गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है एवं ग्रामवासियों द्वारा सहमति प्राप्त है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0
पुरोला उत्तरकाशी


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0
पुरोला उत्तरकाशी
(Uttarkashi)


अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0
पुरोला उत्तरकाशी
(Uttarkashi)


उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
(Uttarkashi)